

2023/11

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, विजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
इजराय	2/23	13/4/23	Att 3/5/24	

अनुदान

श्री जयलाल s/o प्रखरलाल धाकड़

श्री सुभनलाल s/o खाना धाकड़

निवासी गणेशपुरा

निवासी गणेशपुरा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री G.D.

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम






बिजौलियां

जुमल / शेवदल

बनाम जुमल / शेवदल

मुकदमा - इजराय आदेश - 21 नियम-11

नम्बर 02 / 2023

<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>2023 इजराय सीगे से बाद जांच पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। इजराय दर्ज रजिस्टर की जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बिजौलियां को भेज पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली वास्ते पालना दिनांक 7/5 / 2023 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां </p>	
<p>15/2/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 9/6/22 को वास्ते पारि पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	
<p>9/6/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 16/6/22 को वास्ते पारि पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	
<p>16/6/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता एवं जेठवार उपस्थित। पत्रावली वास्ते पालना दिनांक 23/6/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
<p>23/6/23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 27/7/22 को वास्ते पारि पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

5/5/24

पत्रावली
उपस्थित
दिनांक 3/5/24

उप खण्ड अधिकारी
का. रि.

उप खण्ड अधिकारी

03/05/24

पत्रावली केरा तुरी। पंरोवार सरकार
उपस्थित। तहसीलदार बिजौलिया से
पालका प्राप्त तुरी, जिसमें बताया गया
वादी को कब्जा खुदा कर दिया गया
है। पर जो शामिल पत्रावली किया
गया। पत्रावली फॉरलव शुमार तहसील
मन्तर से कम होकर जाखिल दस्त
हो।



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 12/04/2024

क्रमांक/राजस्व/2024/532

प्रेषिति :-

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
बिजौलियां

विषय :- इजराय प्रकरण 02/2023 की पालना के सम्बंध में।
प्रसंग :- श्रीमान् के मु0नं0 26/2021 एवं इजराय प्रकरण 02/2023
के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि
इजराय प्र0सं0 02/2023 की पालना में ग्राम सरकीकुडी में स्थित खसरा नं0
115/92 रकबा 3.19 बीघा (0.6395 है0) मे से 1.05 बीघा (0.2024 है0) भूमि में
इजराय में वर्णित अनुसार वादी श्री जयलाल पिता भवंरलाल धाकड निवासी
गणेशपुरा की भूमि पर प्रतिवादीगणों के द्वारा काबिज भूमि का कब्जा वादी को
संभला दिया है।

अतः भू.अ.नि. एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं मौका पर्चा संलग्न
कर पालना रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उक्तानुसार

भवदीय


तहसीलदार बिजौलिया